

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद /अरवल /बांका /पटना /भोजपुर (आरा) ।

पटना, दिनांक :- 24.04.15

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम- राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास- मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 2230011120101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित्त राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत दी जाएगी ।

| प्राथमिक इकाईयें | जिला का नाम | कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या | आवंटित राशि | अभ्युक्ति |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|---|
| व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01) | जहानाबाद | 08 | 80000 | श्रम अधी० जहानाबाद के पत्रांक-518 दि.-28.8.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 08 बंधुआ मजदूरों के लिए । |
| तदैव | अरवल | 01 | 10000 | श्रम अधीक्षक, जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक-519 दि.-28.8.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए । |
| तदैव | बांका | 04 | 40000 | श्रम अधीक्षक, क०श्र०, भागलपुर-सह-बांका के पत्रांक-391 दि.-28.8.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) एवं नई दिल्ली से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 04 बंधुआ मजदूरों के लिए । |
| तदैव | पटना | 12 | 120000 | श्रम अधीक्षक, क०श्र०, पटना के पत्रांक-1373 एवं 1407 क्रमशः दि.-19.8.15 एवं 28.8.15 के आलोक में क्रमशः जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त सामान्य/अन्य जाति के 04 तथा बेल्लारी(कर्नाटक) से विमुक्त अनुसूचित जाति के 08 बंधुआ मजदूरों के लिए । |
| तदैव | भोजपुर (आरा) | 11 | 110000 | श्रम अधीक्षक, भोजपुर के कार्यालय पत्रांक-649 दि.-28.8.15 के आलोक में बेल्लारी(कर्नाटक) से विमुक्त अनुसूचित जाति के 09 तथा सामान्य/अन्य जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए । |
| कुल योग | | 36 | 360000 | - |

कुल आवंटित राशि रूपये 3,60,000 /- (रूपये तीन लाख साठ हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- अनुसूचित जाति के लिए उपबंधित राशि समाप्त होने के कारण सामान्य जाति के लिए उपबंधित राशि में से अनुसूचित जाति के कुल 26 बंधुआ मजदूरों को लाभांवित करने हेतु राशि आवंटित की जा रही है।
- आवंटन विमुक्त किये जाने के प्रस्ताव में सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक-6/एफ1-305/2015 श्र0सं0-

49

पटना, दिनांक

8.9.15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक- 6/एफ1-305/2015 श्र0सं0

49

पटना, दिनांक

8.9.15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उप श्रमायुक्त /संबंधित सहायक श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त (शोध) एवं प्रशाखा-01 श्रम पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०-169, 168, 157, 166 एवं 164 (श्रम पक्ष) क्रमशः दि.-7.9.15, 24.8.15, एवं 31.8.15 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव।